किस्म मुकदमा – अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम प्रकरण सं.430/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
14.05.2026	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित । पैरोकार सरकार उपस्थित । प्रकरण मे संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम राजस्व नक्शे मे तरमीम का प्रस्तुत कर ग्राम भोपालगढ पटवार हल्का भोपालगढ़ भू.अभिलेख निरीक्षक पुर के आराजी नं.376/160 रकबा 0.1897 हेक्टेयर , आराजी नं. 37/4 रकबा 0.8852 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.0749 हेक्टेयर भूमि का जमाबंदी मे दर्ज रकबे के अनुसार नक्शा मे कम रकबे को दुरस्त किया जाने बावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये । तहसीलदार भीलवाड़ा ने अपने पत्रांक /भू.अ./2025/3227 दिनांक 19.09.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की । रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी भूमि ग्राम भोपालगढ पटवार हल्का भोपालगढ़ भू.अभिलेख निरीक्षक पुर के आराजी नं.376/160 रकबा 0.1897 हेक्टेयर , आराजी नं. 37/4 रकबा 0.8852 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.0749 हेक्टेयर भूमि मे तरमीम दुरस्त करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया । मूल आराजी नं. 160 मे बड़ी संख्या मे आवंटन हुआ है प्रार्थी ने भूमि आवंटी बगती पत्नि हजारी बैरवा से क्रय की है । बगती को यह भूमि जरिये आवंटन प्राप्त हुई । प्रार्थीया ने आवंटी का कब्जा सुदा रकबा क्रय किया है । आवंटन पत्रावली व दस्तावेजो के अभाव मे प्रार्थीया को इमदाद दिया जाना संभव नही है । उभयपक्ष की बहस सुनी गयी । प्रार्थीया अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुए मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम संशोधन किये जाने बावत् निवेदन किया । राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार "भूअभिलेख अधिकारी को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या अन्य - रजिस्टरों में लिपिकीय त्रुटियो (clerical errors) को सुधारने का अधिकार देती है। यह धारा विशेष रूप से गलत प्रविष्टियों को ठीक करने के लिए है।" पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । प्रार्थीया ने अपने प्रार्थनापत्र मे यह कही अंकित नही किया कि नक्शे मे कम दर्ज भूमि प्रार्थीया को किस आराजी से कितनी दी जानी है । प्रार्थीया ने मूल आवंटी बगती से उक्त भूमि क्रय की है । अत:प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा136 भू.राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य नही ठहरता है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो । 14/5/26 उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	